न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या 33 / 2023

श्री सरफराजुद्दीन पुत्र शाहबुद्दीन कुरेशी निवासी वार्ड नं.9 रैगरो का मोहल्ला निवाई तहसील निवाई जिला टोंक राज0 —अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव जिला रसद अधिकारी टोंक —प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक 08.11.2023**

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी एंव जिला रसद अधिकारी टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 1.09.2023 को प्रेषित / प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गई:–

1 वार्ड नं. 8 निवाई मे राशन डीलरशिप के लिए तारचन्द जासवाल द्वारा किए गए आवेदन की सम्पुर्ण पत्रावली प्रमाणित प्रति।
2 आवंटन सलाहकार समिति द्वारा बैठक कार्यवाही विवरण की प्रमाणित प्रति।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव जिला रसद अधिकारी टोंक को पत्र कमांक 891 दिनांक 6.10.2023 व 999 दिनांक 25.10.2023 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नही हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव जिला रसद अधिकारी टोंक ने पत्र कमांक / 2023 / 229 दिनांक 31.10.2023 से जवाब प्रेषित किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में अपीलार्थी को उनके पत्र कमांक 226 दिनांक 15.9.2023 से सूचित किया गया है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव जिला रसद अधिकारी टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(डॉ. ओमप्रकाश बैरवा)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक